न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3659—पीबीआर / 16 विरूद्ध आदेश दिनांक 6—9—16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर प्रकरण कमांक 30 / अपील / 15—16.

ज्योति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

तर्फे अध्यक्ष संजय पिता स्व. प्रहलाद दास नीमा

निवासी 51, बैकुंठ कॉलौनी, इन्दौर ....आवेदक

विरूद्ध

बलजीत सिंह पिता जसवंत सिंह साहनी

निवासी 80, विष्णुपुरी इन्दौर ....अनावेदक

श्री मनोज श्रीमाल, अभिभाषक एवं
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, आवेदक
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक एवं
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—9—16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक बलजीत सिंह द्वारा अपर कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम तेजपुर गड़बड़ी तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 308/2, 308/3, 308/4 एवं 308/5 के स्वत्वाधिकारी आवेदक ज्योति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर द्वारा अपनी भूमि के अलावा अवैध अतिकमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है । अवैध अतिकमण से अनावेदक सहित ग्रामवासियों का रास्ता अवरूद्ध हो रहा है, अतः अवैध अतिकमण हटाया जाये । उक्त शिकायती आवेदन पत्र को अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय को भेजा गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ–74/2013–14 दर्ज कर दिनांक 5–5–2015 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आदेश में उल्लिखित किया गया कि उनका आदेश भविष्य में व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश आदेश के अध्यधीन रहेगा । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा अपील निरस्त किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–9–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु केवल यह है कि क्या अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता थी अथवा नहीं, और क्या उसके द्वारा प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य थी अथवा नहीं । इस संबंध में उभय पक्ष में विद्वान अभिभाषकों द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नानुसार आधार उठाये गये हैं ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक की हैसियत शिकायतकर्ता की है, और अतिक्रमण कार्यवाही शासन एवं अतिक्रामक के बीच में होती है, जिसमें शिकायतकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं होता है, और उसे अपनी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

(2) किसी भी आदेश से व्यथित पक्षकार द्वारा संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की जाती है, जबकि वर्तमान प्रकरण में अनावेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है ।

(3) आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि अनावेदक अपील प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रकरण में न तो उसका कोई हित निहित है, और न ही वह तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित पक्षकार है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रस्तुत शिकायत के आधार पर आवेदक को इस आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि आवेदक संस्था द्वारा शासकीय सड़क को नष्ट किया जा रहा है, नर्मदा पाईप लाईन को हानि पहूंचाई जा रही है व मन्दिर का रास्ता रोका जा रहा है । उपरोक्त तथ्यों पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया जाकर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं थी ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी के समद्वा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत प्रकरण लम्बित होकर उसका निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है, और उभय पक्ष के मध्य व्यवहार वाद भी लम्बित है, ऐसी स्थिति में अपील में कार्यवाही करने से न्यायिक अनुशासन भंग होगा । उपरोक्त वैधानिक

स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया । तर्कों के समर्थन में 1984 आर.एन. 283, 1993 आर.एन. 346, 2006 आर.एन. 313, 1998 आर. एन. 226, 1973 आर.एन. 595 एवं 1971 आर.एन. 367 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक की ग्राम तेजपुर गड़बड़ी स्थित भूमि पर जाने हेतु परम्परागत रास्ता आवेदक द्वारा रोके जाने पर तहसील न्यायालय में उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2011–12 दिनांक 31–10–2011 से प्रचलित था, इसके बावजूद आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराकर उसकी आड़ में रास्ते को अवरूद्ध किया गया है, अतः अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–6–12 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 2962–पीबीआर/12 प्रचलित हुआ, और दिनांक 15–12–2015 को आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किया गया । इस आधार पर उल्लिखित किया गया कि अनावेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, और उसे अपील प्रसुति करने का अधिकार है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की आपत्तियों के विरूद्ध निर्णय दिया गया है, इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है ।

(3) अनावेदक को प्रारंभिक न्यायालय में पक्षकार माना गया है, और वह तहसील न्यायालय के आदेश से पीड़ित है, इसलिए उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है ।

(4) यदि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता से भिन्न उपबंधों के अधीन आदेश पारित किया गया था, तब भी उसके विरूद्ध अपील पोषणीय है ।

तर्कों के समर्थन में 1975 आर.एन. 32, 1962 आर.एन. 282, 1974 आर.एन. 412, 1974 आर.एन. 41 एवं 1991 आर.एन. 4 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अपील सुनने का अधिकार नहीं होने से अपील निरस्त की जाये । उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर